

प्रायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 - 06/2026

नवान : -

1. वीरोबाई पत्नी दमनराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड न. 01 मसीतावाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. विद्यादेवी पत्नी चौधरीराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड न. 01 मसीतावाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. सुखदेव पुत्र लखाराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड न. 01 मसीतावाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्

1. जंगीरो बाई पत्नी मेवाराम जाति बाजीगर निवासी लखुवाली त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व शिवभगवान झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 एनडीआर के खाता सं0 47/3 की कुल 1.4674 है0 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

क. वादीया सं0 1 वीरो बाई को प्राप्त आराजी:- चकनं0 4 एन. डी. आर के खाता सं0 47/3 के प0न0 194/326 मु0 42 किलानं0 11/3/.1734 है0, प0न0 193/326 मु0 43 किलानं0 15/.095 है0 दक्षिण दिशा ।

ख. वादीया सं0 2 विद्या देवी का 0.304 है0, वादीसं0 3 सुखदेव को 0.299 है0 तथा प्रतिवादीया सं0 1 जंगीरो बाई का 0.596 है0 - चकनं0 4 एन.डी. आर. के प0न0 193/326 मु0 43 किलानं0 16/2/.126, 25/.253, 15/.158, 194/326 मु.न. 42 किला न.20/3/.113, 21/.240, 22/2/.007, 23/.138, 24/.101, 25/.063 कुल 1.199 है0 उपरोक्तानुसार ही खाता विभाजन अलग से कायम किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक ...2015/26... मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई ।




सत्यनारायण
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़